

उत्तर प्रदेश शासन
प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-2
संख्या-07/2017/2719/सोलह-2-2016-26(ई)/16

लखनऊ: दिनांक: 11 जनवरी, 2017

कार्यालय आदेश

प्राविधिक शिक्षा विभाग (डिप्लोमा सेक्टर) के अन्तर्गत शासन के कार्यालय आदेश संख्या-118/2016/1577/सोलह-2-2016-26(ई)/2016, दिनांक 03-08-2016 द्वारा व्याख्याता के पद से विभागाध्यक्ष के पद पर अधिकारियों की पदोन्नति की गयी थी।

2- उक्त प्रोन्नत अधिकारियों में से श्री उमेश दत्त, प्रवक्ता यांत्रिक अभियंत्रण, सेठ गंगा सागर जटिया पालीटेक्निक, खुर्जा की विभागाध्यक्ष यांत्रिक अभियंत्रण, राजकीय पालीटेक्निक, सोरों (कासगंज) में की गयी पदोन्नति एवं श्री राजेन्द्र कुमार वर्मा, प्रवक्ता यांत्रिक अभियंत्रण, राजकीय पालीटेक्निक, लखनऊ की विभागाध्यक्ष यांत्रिक अभियंत्रण, राजकीय पालीटेक्निक, पुवायां, शाहजहांपुर में की गयी पदोन्नति को फोरगो/निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया था। उक्त संबंध में निदेशक, प्राविधिक शिक्षा के क्रमशः पत्र संख्या-23604/ई-स्था0राज(यू-23), दिनांक 21-10-2016 एवं पत्र संख्या-34937/ई-स्था0राज(आर-249), दिनांक 04-11-2016 द्वारा अधिकारियों को दी गयी पदोन्नति को फोरगो/निरस्त किये जाने का प्रस्ताव शासन को संदर्भित किया गया।

3- अतएव निदेशक, प्राविधिक शिक्षा द्वारा उपलब्ध करायी गयी संस्तुतियों के आधार पर सम्यक् विचारोपरान्त उक्त अधिकारियों की विभागाध्यक्ष के पद पर की गयी पदोन्नति को फोरगो/निरस्त करने की स्वीकृति श्री राज्यपाल इस शर्त के साथ प्रदान करते हैं कि इन अधिकारियों द्वारा प्रोन्नति का अवसर फोरगो कर देने पर इन्हें समयमान वेतनमान/ए0सी0पी0 का लाभ (भविष्य में) देय नहीं होगा।

4- कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

(सुरजन)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
- 2- निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0 कानपुर।
- 3- निदेशक, शोध विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0, कानपुर।
- 4- कोषाधिकारी, कासगंज/शाहजहांपुर/बुलन्दशहर/लखनऊ।
- 5- संबंधित संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा विभाग।
- 6- सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।

- 7- प्रधानाचार्य, राजकीय पालीटेक्निक, सोरों (कासगंज)/पुवायां (शाहजहाँपुर)/लखनऊ/सेठ गंगा सागर जटिया पालीटेक्निक, खुर्जा।
- 8- संबंधित अधिकारीगण।
- 9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कुलदीप बाबू)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।